

समाहरणालय, बेगूसराय ।

(जिला राजस्व शाखा)

सैरातों की पूनर्निनिविदा


सर्वसाधारण को सूचित किय जाता है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों में परने वाले हाट/बजार/मेला/बस पड़ाव एवं घाट सैरातों की वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक- 01.04.18 से 31.03.19) के लिए बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी। स्वीकृत्यादेश की प्रत्याशा में अनुशंसित सुरक्षित जमा पर डाक बन्दोवस्ती की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अनुशंसित सुरक्षित जमा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह बन्दोवस्तदार को स्वीकार करना होगा।

क्र०	अंचल का नाम	सैरात का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित राशि	जमानत की राशि	नीलामी का स्थान (सभी सैरातों के लिए)	बन्दोवस्ती की तिथि (सभी सैरातों के लिए)
1	2	3	4	5	6	7
1.	चेरियाबरियारपुर	मझौल बस पड़ाव	1888927 /-	472232 /-	कारगिल विजय समा भवन समाहरणालय, बेगूसराय/ समाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ, बेगूसराय	प्रथम तिथि:- 19.04.18 अपराहन 12:30 बजे। उस दिन डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि :-20.04.18 को अपराहन 12:30 बजे उस दिन भी डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि:-21.04.18 को अपराहन 12:30 बजे तदोपरान्त मार्च, 2018 के प्रत्येक सरकारी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में डाक बन्दोवस्ती की जायेगी।
2.	चेरियाबरियारपुर	कोरजाना घाट	316571 /-	79143 /-		
3.	चेरियाबरियारपुर	विक्रमपुर घाट	330030 /-	82507 /-		
4.	साहेबपुर कमाल	कुरहा हाट	422103 /-	105526 /-		
5.	साहेबपुर कमाल	मल्हीपुर जहाज घाट-सह-टैक्सी स्टैंड	433550 /-	108387 /-		

डाक की शर्तें

1. जो सैरात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बन्दोवस्त होगा।
2. बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दिनांक-01.04.18 से 31.03.19 के लिए होगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि नजारत उप. समाहर्ता, बेगूसराय के कार्यालय में जमा कर नाजिर रसीद मूल में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग नहीं ले सकेंगे।
4. सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती की पूरी राशि एकमुश्त डाक समाप्ति के पश्चात् तुरंत जमा करना होगा। सफल डाकवक्ता यदि बन्दोवस्ती की बोली के उपरान्त डाक की पूरी राशि जमा नहीं करते हैं तो आधी राशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष राशि तीन माह के भीतर दो किस्तों में जमा करनी होगी। इस शर्त का अनुपालन नहीं होने पर अग्रधन एवं देय राशि जब्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
5. डाक बन्दोवस्त की राशि की स्टाम्प शुल्क 5प्रतिशत एवं निबंधन शुल्क 5प्रतिशत वसूली का प्रावधान है जो देय होगा।

6. बन्दोवस्ती प्राप्त डाकवक्ताओं को निर्धारित सरकारी दर पर ही शुल्क वसूली का अधिकार होगा, अन्यथा अनियमितता पायी जाने पर बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी।
7. डाकवक्ता को जमानत राशि के साथ जिस डाक में भाग लेना होगा अलग-अलग आवेदन देना होगा एवं अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो जमा करना होगा। साथ ही डाकवक्ता को पैन कार्ड की छायाप्रति दाखिल करनी होगी।
8. पूर्व के बकायेदार बन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. किसी भी प्रकार की वसूली व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोवस्ती की राशि में छूट नहीं दी जायेगी।
10. असफल डाकवक्ताओं का अग्रधन की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
11. बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को डाक के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। अन्य सभी शर्तें जो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तय की जायेगी का अक्षरशः पालन करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उनके एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. सिमरिया घाट के उच्चतम डाकवक्ता को मेला अवधि में मेला परिसर आदि की सफाई, घाट बनाना एवं घाट का बैरिकेटिंग कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
13. सिमरिया घाट सैरात अवस्थित पाँच स्थायी दुकानदारों जिनसे विभागीय वसूली की जाती है, से टॉल वसूली करने का अधिकार उच्चतम डाकवक्ता को नहीं होगा।
14. किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को स्थगित/निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्तों के अधीन निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं।


 समाहर्ता,
 बेगूसराय।